संख्याः–49 /XX(5)/18–01(D.F)/2016

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 17 जनवरी, 2018

विषयः–आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्व प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान पेंशन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयपर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, राज्य सरकार द्वारा देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से 21.03.1977 तक) के दौरान मीसा/ डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्व प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से सम्मान पेंशन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से 21.03.1977 तक) के दौरान मीसा/ डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्व प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को रू0 16,000/– (रू0 सोलह हजार मात्र) मासिक सम्मान राशि दी जायेगी। यह राशि दिनांक–14.06.2017 से देय होगी।

2– "**लोकतन्त्र सेनानी**" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के ऐसे स्थायी निवासी व्यक्ति से है, जिसने देश में दिनांक–25.06.1975 से 21.03.1977 तक आपातकालीन अवधि में लोकतन्त्र की रक्षा के लिये राजनैतिक रूप से सक्रिय रहते हुये संघर्ष किया और जो विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा एवं डी0आई0आर0 में कारागार में राजनैतिक रूप से निरूद्व रहे हो एवं एक माह से अधिक जेल की सजा भोगी हो।

3– सम्मान पेंशन राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर ही सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा सम्मान पेंशन राशि की संस्तुति शासन को भेजी जायेगी। जिसके आधार पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृति/निर्णय किया जायेगा।

क्रमशः–2

4– लोकतन्त्र सेनानी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो एवं आपातकाल के दौरान देश के किसी भी जेल में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्व रहा हो, वहां का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी।

5– सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति को एकल बचत खाता जनपद के किसी बैंक की उस शाखा में जहां वह रहता है में खोलना होगा तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

6– सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि के आहरण हेतु अनुदान की राशि का बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेगें। बिल के साथ सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और धनराशि बैंकवार विवरण संलग्न किया जायेगा। इस विवरण के अनुसार ही कोषागार द्वारा बैंकों की मुख्य शाखावार ट्रेजरी चैक जारी किये जायेगें तथा जिलाधिकारी इन चैकों के साथ बैंक शाखावार खाता धारकों के नाम, पता खाता संख्या तथा बैंक शाखा के नाम की सूची संलग्न कर जिले की सम्बन्धित बैंक की मुख्य शाखा में जमा करेगें। तत्पश्चात् बैंक द्वारा उक्त विवरण के अनुसार सम्मान राशि पाने वाले खाता धारकों के खाते में धनराशि जमा की जायेगी। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा।

7– सम्मान राशि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेगें तथा नियमानुसार उनका लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

8– स्वीकृत सम्मान राशि निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है:–

- अनैतिक अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण।
- किसी भी जुर्म (राजनैतिक सजाओं को छोड़कर) पर दण्डित होने के कारण।
- उल्लिखित अपात्रता जिसके बावजूद गलत ढंग से सम्मान राशि प्राप्त कर ली गयी हो।
- सम्मान राशि स्वीकृति के लिये संलग्न आवेदन पत्र में दिये गये प्रपत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिये जायेगे।
- आवेदक द्वारा कारागार में निरूद्व रहने के समर्थन में निर्धारित आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- किसी भी प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा जांच करायी जा सकती है।

क्रमशः–3

- यदि कोई व्यक्ति, ऐसे विवरण या प्रमाण–पत्र के आधार पर जिसे गलत पाया जाय, सम्मान राशि प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर स्वीकृत सम्मान राशि किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा प्राप्त की गयी राशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में उससे वसूल की जायेगी।

9– कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल लोकतन्त्र सेनानियों के सन्दर्भ में संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 49 /XX(5)/18–01(D.F)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त सूचना का राज्य के समस्त जनपदों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।
5. महानिरीक्षक, कारागार मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जेल अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–01, 05 एवं 07 उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
अनु सचिव।

आवेदन–पत्र का प्रपत्र

नियम 2 के बिन्दु–1 में यथा परिभाषित मीसा/डी0आई0आर0 राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्ति अथवा उनकी पत्नी/पति द्वारा सम्मान निधि के लिये आवेदन–पत्र

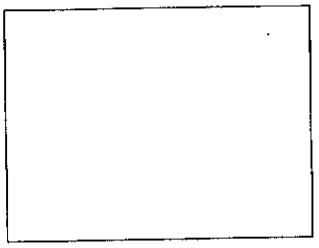

1. मीसा/डी0आई0आर0 राजनैतिक या सामाजिक कारणों से व्यक्ति का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. निवास स्थान .....
   ग्राम .....
   पुलिस थाना .....
   जिला .....
4. मीसा/डी0आई0आर0 राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्ति .....
   की पत्नी/पति का नाम तथा उसका .....
   पूरा पता .....
5. मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत निरूद्व रहने का स्थान एवं अवधि (सम्बन्धित जिला .....
   पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक का प्रमाण .....
   पत्र संलग्न करें) .....
6. आवेदक का पहचान चिन्ह .....
7. उस शासकीय कोषालय का नाम जहां से सम्मान निधि लेना वांछित है .....

स्थानः.....

दिनांक–.....

.....

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर

मै सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त आवेदन में दी गयी जानकारी सही तथा मैं वचन देता/देती हूँ कि.....(मीसा/डी0आई0आर0 राजनैतिक और सामाजिक कारणो से निरूद्व व्यक्ति) लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान पेंशन दिये जाने सम्बन्धी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थानः.....

दिनांक–.....

.....

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर

नोटः–आवेदक के फोटो का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी से कराया जाना होगा।